पत्रांक -बि.प्र.सु.मि.सो./IT-02/2016(खण्ड) सो0- 1356

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

**मनोरंजन कुमार**
प्रशासनिक पदाधिकारी

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी**

पटना, दिनांक- 19/08/2021

**विषय:-** **केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की सेवाओं के सम्बन्ध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-7438, दिनांक-23.07.2021 द्वारा निम्नलिखित तीन सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया है -

1. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ),
2. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ),
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन।

तीनों सेवाएँ अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर से ली जा सकती हैं।

इनमें से क्रमांक-1 एवं 3 की सेवाएं पहले से ही serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से प्रदान की जा रही है। विभागीय अधिसूचना के आलोक में NIC द्वारा क्रमांक-1 एवं 3 की सेवा के लिए नाम-निर्दिष्ट लोक सेवक एवं समय सीमा को सॉफ्टवेयर में संशोधित कर दिया गया है। क्रमांक-1 की सेवा को जिला स्तर से प्रदान किए जाने का भी software में प्रावधान कर दिया गया है।

2- केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की सेवाएं अब तक 'अधिकार' सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं जिसके लिए लोक सेवा केंद्रों पर आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से छात्रों की सुविधा के लिए इस सेवा को भी serviceonline.bihar.gov.in पर migrate करते हुए ऑनलाइन माध्यम का भी विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में कुछ मुख्य बिंदु निम्नवत हैं :-

a) आवेदन पत्र लोक सेवा केंद्रों पर भौतिक रूप से प्राप्त कराए जा सकते हैं अथवा वेब पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in पर ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन दिए जा सकते हैं।

b) इस नई व्यवस्था के live हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र लेने तथा सेवा प्रदान करने की पूरी कार्रवाई serviceonline.bihar.gov.in पर की जाएगी। अधिकार सॉफ्टवेयर पर केवल वैसे पुराने मामले जो प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए आएंगे, उन्हें प्राप्त किया जाएगा। सेवा live किए जाने की सूचना अलग से दी जाएगी।

c) प्राप्त आवेदन, चाहे वह लोक सेवा केंद्र पर प्राप्त हो या online माध्यम से, पर जांच उपरांत नियमानुसार सेवा प्रदान करने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। इन प्रमाण पत्रों को आवश्यकतानुसार अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के स्तर पर प्रति हस्ताक्षरित करने के सॉफ्टवेयर में प्रावधान किए गए हैं।

3- अतः अनुरोध है कि केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की सेवा की ऊपर वर्णित व्यवस्था के संबंध में सभी संबंधित को अवगत कराने एवं इसके अनुरूप कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

19/08/2021

(मनोरंजन कुमार)
प्रशासनिक पदाधिकारी

**ज्ञापांक -बि.प्र.सु.मि.सो./IT-02/2016(खण्ड) सो0- 1356 दिनांक- 19/08/2021**

प्रतिलिपि : अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/08/2021

प्रशासनिक पदाधिकारी

D:\S- 2021\OSD.doc

ज्ञापांक -बि.प्र.सु.मि.सो./IT-02/2016 (खण्ड) सो0- 1356 दिनांक- 19/08/2021

प्रतिलिपि : श्री अशोक कुमार , वरीय तकनीकी निदेशक, NIC, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-7438, दिनांक-23.07.2021 के आलोक में विषयगत सेवा के नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी एवं नियत समय सीमा में यथा संशोधन कर इसे अविलम्ब live करने की कृपा की जाए।

19.10.8.2021

प्रशासनिक पदाधिकारी

D:\S- 2021\OSD.doc